न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 268 / 2024

अनवान : –

1. ममता पुत्री विनोद कुमार नाबालिग उम्र 11 वर्ष जरिये संरक्षिका माता मन्जु पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. मोनिका पुत्री विनोद कुमार नाबालिग उम्र 9 वर्ष जरिये संरक्षिका माता मन्जु पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता सायलान
श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक: 15/09/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 195/182 की कुल 11.7850 हैक्ट भूमि में से 1771/11785 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है। उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायलान अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायलान को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते हैं जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर [illegible] रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 195/182 की कुल [illegible] भूमि में से 1771/11[illegible] हिस्सा भूमि में

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से सायलान के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम जरिये दानपत्र दिनांक 28.04.2017 को प्राप्त हुई है इसलि उक्त भूमि अप्रार्थी की स्वयं की पैदा कर्ता भूमि है जिसमें सायलान का अप्रार्थी के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नही है। अप्रार्थी स0 1 रिकार्डेड खातेदार है इसलिए अप्रार्थी की उक्त भूमि स्वयं की अर्जित भूमि होने व अप्रार्थी के रिकार्डेड खातेदार दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे हैं तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती हैं? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज यानि की पड़दादा जीराम के नाम दर्ज थी इसलिए उक्त भूमि पैतृक भूमि हैं जबकि अप्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम जरिये दानपत्र दर्ज हई है इसलिए उक्त भूमि प्रार्थी की स्वयं की अर्जित भूमि है वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 1 के पूर्वजो के नाम दर्ज रही हैं और उनके बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:18 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
मोहर

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 195/182 की कुल 11.7850 हैक्ट भूमि में से 1771/11785 हिस्सा भूमि में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/09/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:18 IST
Reason: SelfAttested